न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 38 / 2025	2025 / 41	08.01.2025	27.11.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल,
2. सुमरती पुत्री किशनलाल,
3. हरिसिंह पुत्र किशनलाल,

जातियान चमार, नि0 सैंथली, तहसील अलवर जिला अलवर (राज0)।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —पैरोकार सरकार

निर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम सैंथली, तहसील अलवर की आराजी खसरा नं. 447 / 659 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी—1, ख.नं. 449 रकबा 0.22 है0 किस्म गै.मु. सड़क, ख.नं. 456 रकबा 0.19 है0 किस्म चाही—3, ख.नं. 459 रकबा 0.59 है0 किस्म चाही—3, ख.नं. 541 / 656 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी—1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 447 / 659 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी—1, ख.नं. 449 रकबा 0.22 है0 किस्म गै.मु.सड़क, ख.नं. 456 रकबा 0.19 है0 किस्म चाही—3, ख.नं. 459 रकबा 0.59 है0 किस्म चाही—3, ख.नं. 541 / 656 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी—1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सैंथली तहसील अलवर की आराजी का वर्ष 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है।

पटवारी हल्का चिकानी की रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 से स्पष्ट जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा—काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नं. 447 / 659 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी—1, ख.नं. 449 रकबा 0.22 है0 किस्म गै.मु.सड़क, ख.नं. 456 रकबा 0.19 है0 किस्म चाही—3, ख.नं. 459 रकबा 0.59 है0 किस्म चाही—3, ख.नं. 541 / 656 रकबा 0.16 है0

अ... रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

किस्म बारानी–1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सैंथली, तहसील अलवर जिला अलवर की आराजी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित। तामील कुलिंदा रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण ग्राम सैंथली में नहीं रहता है। अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि विवादित आवंटित आराजी खसरा नं. 447/659 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–1, ख.नं. 449 रकबा 0.22 है0 किस्म गै.मु.सड़क, ख.नं. 456 रकबा 0.19 है0 किस्म चाही–3, ख.नं. 459 रकबा 0.59 है0 किस्म चाही–3, ख.नं. 541/656 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सैंथली, तहसील अलवर मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए किया गया था। पटवारी हल्का ढहलावास की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण के नाम राजस्व दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नंबर 447/659 रकबा 0.10 पर जोत, ख.नं. 456 रकबा 0.19 है0, ख.नं. 459 रकबा 0.59 है0, ख.नं. 541/656 रकबा 0.16 है0 पर पड़त व जोत एवं ख.नं. 449 रकबा 0.22 है0 में गै.मु.सड़क/रास्ता चालू है। मौके पर ग्रामवासियान से पूछताछ करने पर जाहिर आया कि उक्त आराजी कुल रकबा 1.26 है0 भूमि में गैर–खातेदार द्वारा खुद काश्त नहीं किया गया है। उक्त खसरा नंबरान पर अन्य व्यक्तियों द्वारा ही काश्त की गई है एवं ग्रामवासियान द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त खसरा नंबरों पर गैर खातेदारान का कब्जा नहीं है। मुताबिक रिपोर्ट मौका पर्चा पटवारी हल्का चिकानी अप्रार्थीगण/गैर खातेदार ग्राम सैंथली में निवास नहीं रहा है। मौके पर गैर खातेदार उपस्थित नहीं मिला एवं ना ही गैर खातेदारी के आवंटन संबंधी दस्तावेजात मिले। रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी/अप्रार्थीगण का आवंटन के समय से कब्जा रहा है एवं ना ही मुताबिक पटवारी मौका पर्चा अनुसार अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी/आवंटी एवं द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद कृषि हेतु काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी/आवंटी को आवंटित की गई आराजी खसरा नं. 447/659 रकबा 0.10 है0 किस्म बारानी–1, ख.नं. 449 रकबा 0.22 है0 किस्म गै.मु.सड़क, ख.नं. 456 रकबा 0.19 है0 किस्म चाही–3, ख.नं. 459 रकबा 0.59 है0 किस्म चाही–3, ख.नं. 541/656 रकबा 0.16 है0 किस्म बारानी–1 कुल किता 5 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सैंथली, तहसील अलवर जिला अलवर के किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)